



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
उ०प्र० सरकार का उपक्रम
शक्ति भवन,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।



संख्या :258 -अनु-02/ सीईएच/19

दिनांक : 25.02.2019

कार्यालय ज्ञाप

यतः मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) के ज्ञाप सं०-1817/अनु०-02/सीईएच/17, दिनांक 28.09.2017 द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम सिंह यादव, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक-9915) का स्थानान्तरण, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ की संस्तुति पर विद्युत वितरण खण्ड, नजीबाबाद (पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ) से प्रशासनिक अधिकार पर प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता को उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिनांक 28.09.2017 को अपने नवतैनाती स्थल-कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के अधीन योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ कार्यमुक्त कर दिया गया था।

यतः श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता को कारपोरेशन के नियमों की अवहेलना करते हुए अपने नवतैनाती कार्यालय पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने के कदाचरण हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) के ज्ञाप सं०-79-अनु०-04/सीईएच/टी-01, दिनांक 23.01.2018 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया।

यतः श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2017 व निलम्बन आदेश दिनांक 23.01.2018 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष क्रमशः रिट याचिका सं०-50306/2017 व रिट याचिका सं०-8230/2018 योजित की गयी। उक्त रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2018 में मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2017 व निलम्बन आदेश दिनांक 23.01.2018 को निरस्त कर दिया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.09.2018 निम्नवत् है :-

"In light of observation herein above, this court is of the view that transfer order of petitioner was passed without obtaining approval from the independent committee as provided by the Apex court and also does not lie in special circumstances of transfer as provided by the Apex court vide order dated 21-03-2007. In fact, this transfer order is in teeth of direction given by the Apex court vide orders dated 24-02-2005 and 21-03-2007 in Writ Petition (Civil) No.79 of 1997 and is not sustainable in eye of law. Therefore, the impugned orders dated 28-09-2017 are hereby quashed. Writ-A No 50306 of 2017 succeeds and is, accordingly, allowed.

So far as the second writ petition bearing Writ-A 8230 of 2018 is concerned, in this matter suspension order is challenged which was passed only on the ground that petitioner has not complied with the transfer order dated 28-09-2017. Once the transfer order dated 28-09-2017 is quashed by this court, automatically this order would not be sustainable in the eye of law. Therefore, impugned order dated 23-01-2018 is hereby quashed. Writ -A No.8230 of 2018 also succeeds and is allowed. No order as to costs

At this stage, learned counsel for the respondent no.2, Sri Ramendra Pratap Singh prays that respondent no.2 may be permitted to pass fresh order in accordance with law.

There is no need to grant such permission for the reason that it is always open for the respondents to pass any transfer order in accordance with law.

Respondents are directed to permit the petitioner to work on his post and also pay him month to month salary. Petitioner is also entitled for all consequential benefits from which he was deprived during the transfer and suspension period."

यतः श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2017 के विरुद्ध श्री यादव द्वारा योजित रिट याचिका सं0-50306/2017 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.09.2018 के विरुद्ध कारपोरेशन की ओर से विशेष अपील सं0-1250/2018 योजित की गयी, जिस पर निर्णय प्रतीक्षित है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2018 का अनुपालन सुनिश्चित न होने के कारण श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका सं0-5846/2018 योजित की गयी। उक्त अवमानना याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.02.2019 को पारित आदेश में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 28.02.2019 निर्धारित करते हुए प्रकरण में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.02.2019 निम्नवत् है :-

"As prayed by learned counsel for the opposite party, list this case on 28 february 2019.

Affidavit of compliance to be filed on the said date."

अतः श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक-9915) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-50306/2017 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2018 के अनुपालन में श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक-9915) को एतद्द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में, कारपोरेशन की ओर से योजित विशेष अपील सं0-1250/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा लिये जाने वाले अंतिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन, स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 258/अनु-2/ सीईएच/ तददिनांक: 25.02.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री देवेन्द्र कुमार यादव, अवर अभियन्ता को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (हाइडिल) के पूर्व स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.09.2017 के अन्तर्गत श्री यादव के स्थानान्तरण के समय के तैनाती स्थल पर उन्हें पुनः तैनात करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नजीबाबाद।
8. श्री देवेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री राम सिंह यादव, अवर अभियन्ता (वरिष्ठता क्रमांक-9915)।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब) को इस आशय से कि कृपया कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(हसन शहीर)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)